

तक की अवधि में सवारी और माल गाड़ियों को लूटने की जितनी घटनाओं की रिपोर्ट मिली है उनकी संख्या क्रमशः 3 और 1 है। किसी रेल कर्मचारी को सम्पत्ति की क्षति नहीं पहुंची लेकिन एक गाड़ और रेलवे सुरक्षा दल के एक रक्षक को चोटें आयीं।

(ख) जहां तक सम्भव होता है सवारी/माल गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र गारद के पहरे की व्यवस्था की जाती है। रेल अपराधियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये सादी पोशाक में कर्मचारियों को तेनात किया जाता है।

भांसी डिविज़न में "कैस आफिसों" और रेलवे डाक-सेवा में कम पाई गई रोकड़

7418. डा. गोविन्दबास रिछारियः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भांसी डिविज़न में "कैस आफिसों" और रेलवे डाक सेवा में कम रोकड़ पाई जाने की कितनी घटनायें हुई ; और

(ख) ऐसी घटनाओं की जांच करने और उन्हें रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) रोकड़ कार्यालय, मंलासी में रोकड़ कमी होने से सम्बन्धित 13 घटनाओं की रिपोर्ट मिली है। रेल-डाक सेवा रेलवे की रोकड़ नहीं ले जाती।

(ख) सभी मामलों की रिपोर्ट, पुलिस को कर दी गयी है जिसने उनकी जांच-पड़ताल की है। विभागीय जांच के लिए भी आदेश दिये गये हैं और जिम्मेदार ठहुराये गये कर्मचारियों

के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ कर दी गयी है। क्षेत्रीय रोकड़ कार्यालय, भांसी में सुरक्षा के प्रबन्ध और अधिक कड़े किये जा रहे हैं।

आम चुनाव, 1972

7419. श्री शंकर दयाल सिंहः क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1972 में किन-किन, राज्यों में आम चुनाव होंगे ; और

(ख) क्या अन्य राज्यों के साथ राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों में भी चुनाव कराये जायेंगे ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी : ) (क) नई विधान सभाएं गठित करने के लिए आम चुनाव 1972 में निम्नलिखित राज्यों में होने को हैं :

आन्ध्र प्रदेश

आसाम

हिमाचल प्रदेश

जम्मू और कश्मीर

महाराष्ट्र

राजस्थान

(ख) पूर्वोक्त राज्यों में से किसी में या उन राज्यों में जहां राष्ट्रपति का शासन है आम चुनाव कराने के समय के बारे में कोई फैसला अभी तक नहीं किया गया है।